न्यायालय– एकादश्, अपर सत्र न्यायाधीश
सारण, छपरा।
ए.बी.पी.न0–150 / 2026
नयागांव थाना कांड सं0–222 / 2025

धनंजय कुमार वगैरह बनाम् बिहार राज्य

26.03.2026 आवेदक अभियुक्तगण क्रमशः 1 धनंजय कुमार एवं 2 विशाल महतो की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–150/2026, नयागांव थाना कांड सं0 222/2025, अंतर्गत धारा 137(2), 96,352, 351(2),3(5) भा0न्या0सं0 में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री जितेन्द्र कुमार सिंह को सुना।

मामले की प्राथमिकी के अनुसार अभियुक्तगण पर आरोप संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचक की नाबालिग पुत्री उम्र 14 वर्ष घर से नयागांव बाजार दिनांक 16.11.2025 को समय करीब चार बजे संध्या गई थी और घर वापस नहीं लौटी तो सूचक अपने सारे संबंधियों के घर खोजबीन किया तो पता नहीं चला। बाद में धीरज कुमार अपने मोबाईल से फेसबुक पर मैंसेज भेजने लगा कि तुम्हारी लड़की को अपहरण कर लिये हैं और धमकी देने लगा कि किसी प्रकार का कोई शिकायत करोगे तो इसकी हत्या कर देंगे और बेच देंगे। इसकी शिकायत करने और पूछने सूचक व उसकी पत्नी धीरज कुमार के यहां उसके घर पर गए तो विशाल महतो, चुल्हाई महतो व अन्य नामित अभियुक्तगण सूचक व उसकी पत्नी के साथ गाली–गलौज, मारपीट करने लगे और कहने लगे कि तुम्हारी लड़की की हत्या कर देंगे और बाजार में बेच देंगे। अश्लील वीडियो बनायेंगे और तुम्हारी बेटी का गंदा वीडियो वायरल कर देंगे। तुमको जो समझ में आये करो।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस करते हुए कहा गया कि आवेदकगण की ओर अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्तगण निर्दोष हैं उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदकगण पर लगाये गये आरोप झूंठा है। आवेदकगण का आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण को आपसी दुश्मनी एवं ग्रामीण राजनीति के कारण झूंठा फंसाया गया है। धारा 96 भा0न्या0सं0 को छोड़कर सभी धाराएं जमानतीय हैं। धारा 96 भा0न्या0सं0 वाद को गंभीर बनाने के लिए लगाया गया है। आवेदक अभियुक्त धीरज कुमार के पटीदार हैं और व एक दूसरे से अलग रहते हैं। प्राथमिकी के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण के विरूद्ध गाली–गलौज, मारपीट धमकी देने के अलावा कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। सूचक व आवेदकगण एक ही गावं के निवासी हैं और उनके बीच पहले से ही दुश्मनी है, इसलिए आवेदकगण को जानबूझकर इस मामले में नामजद किया गया है। अंत में विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत दिये जाने की

प्रार्थना की गई है।

अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि आवेदकगण द्वारा कारित अपराध काफी गंभीर प्रकृति का है। इसलिए आवेदकगण का जमानत आवेदन खारिज किया जाये।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी नयागांव थाना कांड सं0 222/2025, अंतर्गत धारा 137(2), 96,352, 351(2),3(5) भा0न्या0सं0 में पंजीकृत कराई गई है। कांड दैनिकी के कंडिका–2 में वादी का पुनः बयान है जिसमें वादी ने घटना का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। कंडिका–6,7 में साक्षियों का साक्ष्य है जिसमें साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है। कांड दैनिकी के कंडिका–34 में पर्यवेक्षण टिप्पणी है जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सोनपुर द्वारा आवेदकगण के विरूद्ध घटना को सत्य पाया गया है। कंडिका–40 में अपहृता के उम्र के संदर्भ में अंकित है जिसमें उसकी जन्मतिथि दिनांक 23.09.2010 है इससे स्पष्ट होता है कि पीड़िता घटनातिथि को नाबालिग है। जमानत आवेदन के अनुसार आवेदकगण का आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्तगण पर सह–अभियुक्त धीरज के साथ मिलकर सूचक की नाबालिग पुत्री का अपहरण करने का आरोप है। वाद में अभी अनुसंधान जारी है। आवेदकगण द्वारा कारित अपराधिक व उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आवेदक अभियुक्तगण क्रमशः 1 धनंजय कुमार एवं 2 विशाल महतो द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 12.01.2026 को उपरोक्त के आलोक में खारिज किया जाता है।

लेखापित

एकादश, अपर सत्र न्यायाधीश
सारण, छपरा।